NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-02-2026

विषय सूची

संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भारत और यूनान के द्विपक्षीय संबंध

भारत द्वारा किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की

भारत के कौशल विकास तंत्र में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता

भारत का नेट-ज़ीरो मार्ग: महत्वाकांक्षा, निवेश और सुधार

संक्षिप्त समाचार

बस्तर पंडुम उत्सव

फॉर्म 7 विवाद

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976: 50 वर्ष

भारत द्वारा सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित

'आगामी पीढ़ी की प्रणाली': सुनामी निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु

राइट ऑफ वे (RoW) विलंब

मैंग्रोव क्लैम (गेलोइना एरोसा)

संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता

संदर्भ

- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को संस्थागत रूप दे रहा है ताकि डिजिटल, भाषाई और साक्षरता विभाजन को समाप्त कर सके। इसके लिए राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्मों का एक समूह विकसित किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहर को सुलभ डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित करता है।

एआई संचालित राष्ट्रीय हस्तक्षेप

- **भाषिणी (BHASHINI):** 2022 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। भाषिणी को भारत की व्यापक भाषाई विविधता को डिजिटल क्षेत्र में संबोधित करने हेतु विकसित किया गया। यह पहल डिजिटल प्रणालियों में भाषा और वाणी क्षमताओं को सीधे समाहित करने पर केंद्रित है।
- **भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (TDIL):** इसका उद्देश्य मूल भाषा प्रौद्योगिकियों का विकास और मानकीकरण है, जिनमें शामिल हैं:
  - मशीन अनुवाद
  - भारतीय लिपियों के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR)
  - वाणी से पाठ और पाठ से वाणी प्रणालियाँ
  - हस्तलिपि पहचान और लिप्यंतरण उपकरण
- **अनुवादिनी (AICTE):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा विकसित एक एआई-आधारित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म। इसका उद्देश्य शैक्षणिक, तकनीकी और ज्ञान-संबंधी सामग्री का भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद करना है।
- **ज्ञान भारतम् मिशन:** यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका लक्ष्य भारत की पांडुलिपि धरोहर और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण एवं प्रसार करना है। इसमें राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण भी शामिल है।
- **ज्ञान-सेतु:** यह एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पांडुलिपि संरक्षण, व्याख्या, पुनर्स्थापन और पहुँच के लिए एआई-आधारित समाधान प्राप्त करना है।
- **आदि वाणी:** यह एक एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन के लिए बनाया गया है। ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक एवं मौखिक धरोहर का केंद्रीय भाग हैं।

संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण में एआई की भूमिका

- **सांस्कृतिक संरक्षण:** एआई नाजुक पांडुलिपियों का उच्च गति से स्कैनिंग, OCR, मेटाडेटा निष्कर्षण और बुद्धिमान सूचीकरण सक्षम करता है।
  - उदाहरण: ज्ञान भारतम् मिशन ने 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों का प्रलेखन किया है, जिनमें से कई पहले अप्राप्य थीं या क्षय के जोखिम में थीं।
- **ज्ञान का लोकतंत्रीकरण:** एआई-आधारित वाणी से पाठ और वास्तविक समय अनुवाद साक्षरता एवं भाषा अवरोधों को कम करते हैं।
  - उदाहरण: काशी तमिल संगमम् 2.0 के दौरान भाषिणी का उपयोग कर भाषणों का वास्तविक समय में अनुवाद किया गया, जिससे सहज बहुभाषी सहभागिता संभव हुई।
- **सामाजिक समावेशन:** यह जनजातीय और हाशिए पर स्थित समुदायों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करता है।
  - उदाहरण: आदि वाणी प्लेटफ़ॉर्म संताली, भीली और गोंडी जैसी भाषाओं को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में ला रहा है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** एआई सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में आजीविका को सुदृढ़ करता है, दृश्यता, बाज़ार पहुँच, उत्पादकता एवं प्रामाणिकता सत्यापन में सुधार करता है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** एआई भारत की भाषाई विविधता को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रणालियों में बहुभाषी और वाणी-आधारित क्षमताओं को समाहित कर तकनीकी शक्ति में परिवर्तित करता है।
  - उदाहरण: भाषिणी ने कुंभ सह'एआई'यक बहुभाषी चैटबॉट को संचालित किया, जिसने 11 भाषाओं में मार्गदर्शन, कार्यक्रम अपडेट और खोया-पाया सहायता प्रदान की।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम डिजिटल साक्षरता और स्मार्ट उपकरणों की कमी एआई प्लेटफ़ॉर्मों के प्रभावी उपयोग को बाधित करती है।
- **एल्गोरिथ्मिक पक्षपात:** असमान या प्रमुख-भाषा डेटासेट पर प्रशिक्षित एआई प्रणालियाँ अर्थ को विकृत कर सकती हैं, सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं या छोटी भाषाई समुदायों को हाशिए पर डाल सकती हैं।
- **संदर्भगत सीमाएँ:** मशीन अनुवाद और वाणी पहचान उपकरण बोलियों, उच्चारणों, मुहावरों एवं सांस्कृतिक रूप से निहित ज्ञान प्रणालियों के साथ संघर्ष करते हैं।
- **पारंपरिक ज्ञान संरक्षण:** पांडुलिपियों और मौखिक परंपराओं का डिजिटलीकरण स्वामित्व, सहमति और स्वदेशी ज्ञान के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण:** एआई मॉडल स्थानीय समुदायों, भाषाविदों और जनजातीय समूहों की सक्रिय भागीदारी से विकसित किए जाने चाहिए ताकि सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संदर्भगत सटीकता एवं ज्ञान प्रणालियों पर स्वामित्व सुनिश्चित हो सके।
- **ऑफ़लाइन और कम-बैंडविड्थ एआई समाधान:** एआई प्रणालियाँ दूरस्थ और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु डिज़ाइन की जानी चाहिए ताकि डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जा सके।
- **सार्वजनिक–निजी–शैक्षणिक सहयोग:** सरकारी संस्थानों, स्टार्टअप्स, शोध निकायों और नागरिक समाज संगठनों के बीच साझेदारी नवाचार एवं बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन को तीव्र कर सकती है।
- **बहुभाषी एआई में वैश्विक नेतृत्व:** भारत समावेशी बहुभाषी एआई में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकता है, और अपनी भाषा प्रौद्योगिकियों को अन्य भाषाई विविधता वाले देशों में निर्यात कर सकता है।

स्रोत: PIB

भारत और यूनान के द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

- रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में अपने ग्रीक समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
  - दोनों नेताओं ने पुनः पुष्टि की कि भारत-यूनान रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है।

परिचय

- भारत और यूनान के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक संयुक्त आशय घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जो पाँच-वर्षीय रोडमैप विकसित करने का प्रारंभिक बिंदु है।
- 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का भी आदान-प्रदान किया गया, जो दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सैन्य सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत-यूनान द्विपक्षीय संबंध

- **राजनीतिक संबंध:** भारत ने परंपरागत रूप से यूनान के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लिया है, जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में, राजनीतिक समर्थन से परिभाषित होते हैं।
  - 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की यूनान यात्रा के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- **रक्षा संबंध:** भारत और यूनान ने भूमध्य सागर में विभिन्न संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं तथा बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास INIOCHOS-23, INIOCHOS-24 एवं INIOCHOS-25 में भी भाग लिया है।
  - 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब कई यूरोपीय राष्ट्र भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, उस समय ग्रीस के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भारत-यूनान रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  - सैन्य उपकरणों का सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, भारत की "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत यूनान के साथ भी खोजा जा रहा है।

- **आर्थिक सहयोग:** भारत और यूनान का लक्ष्य 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, जो 2022-23 में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
- **पर्यटन क्षेत्र** यूनान की आय का 25% हिस्सा है और यह देश भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- **संपर्कता:** यूनान की पूर्वी भूमध्यसागर में महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थिति तथा यूरोपीय संघ एवं नाटो की सदस्यता इसे भारत के लिए यूरोपीय संघ में प्रवेश का संभावित द्वार बनाती है।

भारत-यूनान के लिए चुनौतियाँ और अवसर

- **जन और नीति दृश्यता की कमी:** उच्च-स्तरीय यात्राओं के बावजूद प्रमुख विदेश नीति हलकों में भारत-यूनान विमर्श का अभाव है।
- **जन-से-जन संपर्क की कमी:** कम पर्यटन और प्रवासी आदान-प्रदान के कारण दोनों देशों के बीच जन-से-जन सहभागिता सीमित है।
- **भौगोलिक असंबद्धता:** दोनों देशों के बीच कोई सीधी हवाई संपर्क (उड़ानें) या समुद्री व्यापार मार्ग नहीं है, जिससे लॉजिस्टिक्स और आदान-प्रदान सीमित हो जाते हैं।
- **तृतीय पक्ष हस्तक्षेप:** तुर्किये जैसे देशों की निकटता और यूनान के साथ तनाव भारत की लचीलापन को सीमित कर सकते हैं, विशेषकर पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारत के संतुलनकारी दृष्टिकोण को देखते हुए।
  - चीन द्वारा यूनान में BRI के माध्यम से निवेश भारत के प्रभाव को सीमित कर सकता है और भूमध्यसागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घर्षण उत्पन्न कर सकता है।
- **असमान ध्यान:** यद्यपि यूनान भारत का समर्थन करता है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता, परंतु यूनान यूरोपीय संघ, नाटो एवं भूमध्यसागर की राजनीति में अधिक गहराई से संलग्न है।

अवसर

- **रणनीतिक समुद्री अभिसरण:** भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी है और यूनान पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र में।
  - यूनानी बंदरगाह भारत के लिए यूरोप में प्रवेश बिंदु का कार्य कर सकते हैं, विशेषकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के अंतर्गत।
- **बहुध्रुवीय विश्व में भू-राजनीतिक अभिसरण:** दोनों राष्ट्र बहुध्रुवीयता, रणनीतिक स्वायत्तता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - संप्रभुता और आतंकवाद-निरोध पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान में सुदृढ़ सामंजस्य हो सकता है।
- **बहुपक्षीय मुद्दों पर समर्थन:** यूनान ने भारत की स्थायी UNSC सीट की मांग का लगातार समर्थन किया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक संरक्षण में समन्वित कूटनीति की संभावना है।

आगे की राह

- **भारत-यूनान 2+2 संवाद का प्रस्ताव:** रक्षा और विदेश मंत्री स्तर पर 2+2 प्रारूप में परामर्श प्रारंभ करना ताकि रणनीतिक समन्वय को संस्थागत रूप दिया जा सके।
- **समुद्री और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाना:** यूनान के बंदरगाह जैसे अलेक्ज़ेंड्रूपोलिस और थेसालोनिकी का उपयोग भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए यूरोपीय द्वार के रूप में करना, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के अंतर्गत।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित संक्रमण में साझेदारी:** भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को यूनान में सौर, पवन एवं हरित हाइड्रोजन निवेश की खोज हेतु प्रोत्साहित करना, यूरोपीय संघ के हरित अवसंरचना लक्ष्यों के अंतर्गत।
- **सततता और निरंतरता सुनिश्चित करना:** एक दूरदर्शी द्विपक्षीय रोडमैप तैयार करना जो राजनीतिक चक्रों से परे हो और भविष्य की सरकारों तथा भारत एवं यूनान के राजनयिकों के लिए संस्थागत स्मृति का निर्माण करे।

निष्कर्ष

- विगत 2 वर्षों में भारत-यूनान संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसे "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक उन्नत किया गया है।

- हाल के वर्षों में भारत ने भूमध्यसागर क्षेत्र के देशों के साथ विभिन्न सहभागिताओं के माध्यम से महाद्वीप में अपनी साझेदारियों का विस्तार और विविधीकरण किया है।
- भारत एवं यूनान ने अपने राजनयिक संबंधों के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है, और व्यापार, निवेश, पर्यटन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून में सहयोग को गंभीरता देने की संभावना विद्यमान है।

स्रोत: PIB

भारत द्वारा किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की

संदर्भ

- भारत ने वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया (KP) की अध्यक्षता ग्रहण की है।
  - अध्यक्ष किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) के क्रियान्वयन और कार्य समूहों, समितियों तथा प्रशासन के संचालन की देखरेख करता है, जो KP को सक्रिय करते हैं।

किम्बर्ली प्रक्रिया (KP)

- KP एक बहुराष्ट्रीय तंत्र या संरचना है जो 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स' के व्यापार को नियंत्रित करती है।
  - ये अपरिष्कृत(या पूर्व-प्रसंस्कृत) हीरे होते हैं जिन्हें विद्रोही या उग्रवादी समूह अवैध रूप से वैध सरकारों को कमजोर करने या धमकाने के लिए उपयोग करते हैं।
- KP की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई जब दक्षिणी अफ्रीका के देशों ने कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकने हेतु संवाद प्रारंभ किया।
- 2003 में 37 हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ हुई वार्ताओं ने किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) को उत्पन्न कर दिया।
  - KPCS वह तंत्र है जिसका उपयोग KP कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकने के लिए करता है।
  - KP प्रतिभागी देशों द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से लागू किया जाता है ताकि वैध आपूर्ति श्रृंखला में वर्तमान अपूर्ण हीरे KP-अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
- KP में 60 प्रतिभागी हैं, जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक अपूर्ण हीरा उत्पादन का लगभग 99.8% हिस्सा रखते हैं।

अपरिष्कृत हीरों का व्यापार

- व्यापार केवल प्रमाणित KP सदस्यों के बीच ही अनुमत है जो इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन करते हैं।
- **देशों के लिए दायित्व:** प्रतिभागी देशों को हीरा उत्पादन एवं व्यापार के लिए समय पर और सटीक सांख्यिकीय डेटा साझा करना अनिवार्य है।

- **प्रमुख उत्पादक:** अंगोला, बोत्सवाना, कनाडा, कांगो, नामीबिया और रूस मिलकर मात्रा एवं मूल्य के आधार पर अपूर्ण हीरों के उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
- भारत यद्यपि उत्पादक नहीं है, परंतु यह अपरिष्कृत हीरों का प्रमुख आयातक है, जो वैश्विक आयात का लगभग 40% आयात करता है।
  - भारत एक अग्रणी कटाई और पॉलिशिंग केंद्र है, जो मुख्यतः सूरत एवं मुंबई में स्थित है।
  - भारत पॉलिश किए गए हीरों का पुनः निर्यात चीन, हांगकांग, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख बाज़ारों में करता है।
- **KP में भारत की प्रासंगिकता:** वैश्विक हीरा मूल्य श्रृंखला के केंद्र में भारत की रणनीतिक स्थिति इसे KP के अंदर सार्थक सुधारों को दिशा देने हेतु विशिष्ट सामर्थ्य प्रदान करती है।

चिंताएँ

- **कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की परिभाषा:** इसका दायरा अत्यंत संकीर्ण है, जो केवल विद्रोही समूहों और सरकारों के बीच वित्तीय तंत्र को पकड़ता है, जबकि राज्य-सम्बद्ध दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन, मानव तस्करी, पर्यावरणीय क्षति, कारीगर खनन में दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार चैनलों में अपरिष्कृत हीरों के अवैध उपयोग को नज़रअंदाज़ करता है।
- **निर्णय-निर्माण प्रक्रिया:** सर्वसम्मति-आधारित प्रणाली किसी भी प्रतिभागी को राजनीतिक वीटो का प्रयोग करने की अनुमति देती है, जिससे KP निर्णयों का प्रवर्तन एवं विश्वसनीयता कमजोर होती है।

भारत कैसे सुधार ला सकता है?

- **एजेंडा विस्तार:** KP अध्यक्ष के रूप में भारत विद्रोही विद्रोहों से परे हिंसा और मानवाधिकार जोखिमों पर तकनीकी कार्य समूह बना सकता है, जिससे "कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स" की पुनर्परिभाषा से पूर्व साक्ष्य एवं सहमति का निर्माण हो सके, बिना राजनीतिक गतिरोध को पुनः खोलने के।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता:** भारत अपनी डिजिटल क्षमता का उपयोग कर छेड़छाड़-रोधी, ब्लॉकचेन-आधारित KP प्रमाणन लागू कर सकता है, जिसमें अद्वितीय, समय-चिह्नित शिपमेंट रिकॉर्ड और समन्वित सीमा शुल्क डेटा विनिमय शामिल हो, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके तथा KP संचालन का आधुनिकीकरण हो।
- **दंडात्मक उपायों पर क्षमता निर्माण:** मध्य और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय KP तकनीकी केंद्र स्थापित करना, जो प्रशिक्षण, आईटी समर्थन, प्रमाणन सहायता एवं फॉरेंसिक क्षमता प्रदान करें, जिससे अनुपालन सहयोगात्मक बने न कि दमनकारी।
- **संस्थागत जवाबदेही सुधार:** चयनित KP प्रतिभागियों के लिए स्वतंत्र या तृतीय-पक्ष ऑडिट को बढ़ावा देना और KP सांख्यिकी का पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण करना, ताकि विश्वसनीयता एवं विश्वास बढ़ सके।
- **प्रतिबंध से जिम्मेदारी की ओर:** KP की कथा को केवल कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को रोकने से आगे बढ़ाकर जिम्मेदार, समावेशी और समुदाय-लाभकारी हीरा व्यापार सक्षम करने की ओर पुनः उन्मुख करना, जिससे राजस्व खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्थानीय अवसंरचना का समर्थन कर सके।

स्रोत: TH

भारत के कौशल विकास तंत्र में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता

संदर्भ

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने परिचालन मानकों का पालन न करने के कारण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के अंतर्गत 178 प्रशिक्षण भागीदारों (TPs) एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (TCs) को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- PMKVY, कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रमुख कौशल प्रमाणन योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
- इस योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है।
- इसका लक्ष्य उद्योग-संबंधी अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व अधिगम की मान्यता (RPL), तथा विशेष परियोजनाएँ प्रदान करना है।
  - प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः 300 से 600 घंटे के बीच होते हैं, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।
- 2022 में प्रारंभ की गई PMKVY 4.0 का उद्देश्य हरित रोजगार, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स और डिजिटल कौशल जैसे उभरते क्षेत्रों को सम्मिलित करना तथा निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना है।

पहचानी गई अनियमितताओं का स्वरूप

- कई प्रशिक्षण केन्द्र आधिकारिक कार्य समय में बंद पाए गए, जबकि बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में कथित हेरफेर की घटनाएँ सामने आईं।

- कुछ केन्द्रों में परिचालन संबंधी अनियमितताएँ पाई गईं, जैसे एक ही परिसर में दो या अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों का अनधिकृत विलय, जो निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।
- PMKVY दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अधोसंरचना और प्रशिक्षण मानकों का पालन करने में विफलता रही।

पहचानी गई अनियमितताओं के प्रभाव

- **संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण:** बायोमेट्रिक हेरफेर की पहचान से PMKVY की विश्वसनीयता कमजोर होती है और सरकारी वित्तपोषित कौशल पहलों में जनविश्वास घटता है।
- **सार्वजनिक धन का दुरुपयोग:** धोखाधड़ीपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने और मानकों का पालन न करने से धन का अनुचित वितरण होता है, जिससे राजकोष को प्रत्यक्ष वित्तीय हानि होती है।
- **युवाओं का कौशल प्रमाणन पर विश्वास कम होना:** यदि रोजगार परिणाम अनिश्चित रहते हैं तो युवा अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन से संकोच कर सकते हैं।
- **भारत के जनसांख्यिकीय लाभ पर प्रभाव:** शासन संबंधी चूक और संरचनात्मक अक्षमताएँ कौशल कार्यक्रमों की क्षमता को जनसांख्यिकीय लाभ को उत्पादक आर्थिक परिणामों में बदलने से रोकती हैं।

प्रणाली सुधार हेतु तकनीकी एवं नीतिगत उपाय

- **एआई-आधारित उपस्थिति विश्लेषण उपकरण:** असामान्य उपस्थिति पैटर्न, जैसे अचानक बायोमेट्रिक प्रविष्टियों में वृद्धि या असामान्य समय पर उपस्थिति का समूह, पहचानने हेतु लागू किए जा सकते हैं।
- **अनिवार्य सीसीटीवी रिकॉर्डिंग:** प्रशिक्षण समय के दौरान सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज के साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जा सकती है, जिससे आकस्मिक ऑडिट में दृश्य सत्यापन संभव हो।
- **ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणन:** ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग छेड़छाड़-रोधी डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने हेतु किया जा सकता है, जिन्हें नियोक्ता सत्यापित कर सकें, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित हो और प्रतिलिपि की समस्या कम हो।

आगे की राह

- **परिणाम-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव:** मूल्यांकन मानकों को केवल नामांकन संख्या पर नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, वेतन वृद्धि और नियोक्ता संतुष्टि पर केंद्रित होना चाहिए।
- **सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना:** निरीक्षण, दंड और ब्लैकलिस्टिंग निर्णयों से संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु पारदर्शी अपीलीय तंत्र संस्थागत किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना:** नियमित प्रशिक्षक प्रमाणन, डिजिटल अधोसंरचना समर्थन और गुणवत्ता ऑडिट को अनुपालन निगरानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- **धोखाधड़ी और प्रक्रियागत चूक में अंतर करना:** नीतिगत प्रतिक्रियाएँ जानबूझकर किए गए वित्तीय दुरुपयोग और मामूली प्रक्रियागत विचलनों के बीच उचित भेद करें ताकि न्यायसंगतता बनी रहे।

स्रोत: IE

भारत का नेट-ज़ीरो मार्ग: महत्वाकांक्षा, निवेश और सुधार

संदर्भ

- नीति आयोग की विकसित भारत और नेट-ज़ीरो परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त कर सकता है तथा 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है। किंतु इस परिवर्तन के लिए व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता होगी।

नेट-ज़ीरो क्या है?

- नेट-ज़ीरो उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ एक निश्चित अवधि में वातावरण में छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा, हटाई गई मात्रा के बराबर होती है।
- यह निम्नलिखित उपायों के संयोजन से प्राप्त किया जाता है:
  - **उत्सर्जन में कमी:** जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता में सुधार, परिवहन और उद्योग का विद्युतीकरण, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

- **उत्सर्जन हटाना:** प्राकृतिक अवशोषक जैसे वन, मृदा और आर्द्रभूमि, तथा तकनीकी समाधान जैसे कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS)।
- यह सभी ग्रीनहाउस गैसों (CO_2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि) को सम्मिलित करता है और व्यापक आर्थिक डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित है।

नेट-ज़ीरो क्यों महत्वपूर्ण है?

- वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5–2°C तक सीमित करना आवश्यक है, जैसा कि पेरिस समझौते में उल्लिखित है।
- यह चरम मौसम, समुद्र-स्तर वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र हानि जैसे जलवायु जोखिमों को कम करने में सहायक है।
- यह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, नवाचार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में उजागर प्रमुख चिंताएँ

- **वित्तीय अंतराल:** 2070 तक नेट-ज़ीरो प्राप्त करने हेतु $22.7 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि घरेलू संसाधन एकत्रित के पश्चात भी $6.53 ट्रिलियन का अंतर शेष है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर निर्भरता:** जलवायु वित्त की उपलब्धता, समयबद्धता और शर्तों से जुड़े जोखिम।
- **वर्तमान निवेश की अपर्याप्तता:** वर्तमान जलवायु निवेश प्रवाह (~$135 बिलियन वार्षिक) दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता से बहुत कम है।
  - स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तपोषण भविष्य की मांग वृद्धि की तुलना में अपर्याप्त बना हुआ है।
- **ऊर्जा क्षेत्र संक्रमण जोखिम:** 6,500–7,000 GW नवीकरणीय क्षमता तक पहुँचना ग्रिड स्थिरता, भंडारण और प्रसारण अवसंरचना से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में कोयले पर निरंतर निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कमी के बीच तनाव उत्पन्न करती है।
- **ऊर्जा मांग में वृद्धि:** शीतलन, उद्योग और डेटा केंद्रों की तीव्र वृद्धि दक्षता लाभ को संतुलित कर सकती है।
  - केवल शीतलन ही आवासीय विद्युत मांग का एक प्रमुख कारक बनकर उभरा है।
- **औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनिश्चितता:** कठिन-से-घटाने वाले क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियाँ अभी महंगी और सीमित हैं।
- **महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता:** स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लिथियम, तांबा, निकल आदि पर निर्भरता बढ़ाता है।
  - आयात पर निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला के संकेन्द्रण और मूल्य अस्थिरता से जुड़े जोखिम।
- **वित्तीय प्रणाली की सीमाएँ:** कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और घरेलू बचत का वित्तीयकरण अभी अपर्याप्त है।
  - समर्पित हरित वित्त संस्थान की अनुपस्थिति, समन्वित पूंजी तैनाती को सीमित करती है।
- **नीतिगत एवं क्रियान्वयन चुनौतियाँ:** दीर्घकालिक नीति स्थिरता, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और सख्त प्रवर्तन आवश्यक है।
  - सुधारों में विलंब संक्रमण लागत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में दिए गए प्रमुख सुझाव

- **राष्ट्रीय हरित वित्त संस्थान की स्थापना:** भारत के नेट-ज़ीरो संक्रमण हेतु बड़े पैमाने पर पूंजी एकत्रण, एकत्रित करने और तैनात करने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हरित वित्त संस्थान का निर्माण किया जाए।
  - यह संस्थान परियोजनाओं के जोखिम को कम करने और निजी तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त एकत्रण:** विकसित देशों को भारत की वित्तीय कमी को पूरा करने हेतु $6.53 ट्रिलियन जलवायु वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत का वैश्विक पूंजी बाजारों के साथ एकीकरण सुदृढ़ किया जाए।
- **घरेलू वित्तीय बाजारों को गहरा करना:** कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को GDP के लगभग 16% से बढ़ाकर 2070 तक लगभग 30% तक किया जाए।
  - घरेलू बचत का वित्तीयकरण ~60% से बढ़ाकर 75% तक किया जाए ताकि दीर्घकालिक पूंजी को मुक्त किया जा सके।

- **नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को तीव्र करना:** 2070 तक सौर और पवन क्षमता को 6,500–7,000 GW तक बढ़ाया जाए।
  - ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु बैटरी भंडारण और पम्प्ड हाइड्रो में निवेश किया जाए।
- **विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना:** डीकार्बोनाइजेशन की रीढ़ के रूप में विद्युतीकरण को स्थापित किया जाए, विशेषकर परिवहन और उद्योग में।
  - नेट-ज़ीरो मार्ग के अंतर्गत सड़क परिवहन का 70% से अधिक विद्युतीकरण लक्ष्य रखा जाए।
- **मांग-पक्ष प्रबंधन को सुदृढ़ करना:** सख्त उपकरण दक्षता मानकों और भवन ऊर्जा कोड लागू किए जाएँ।
  - बढ़ती ऊर्जा मांग, विशेषकर शीतलन हेतु, प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन प्रोत्साहित किए जाएँ।
- **औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन:** ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जाए और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाए।
  - कठिन-से-घटाने वाले क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर को शीघ्र अपनाया जाए।
- **महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना:** लिथियम, तांबा और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू अन्वेषण, पुनर्चक्रण एवं विविधीकृत आयात स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए।
- **संक्रमण के दौरान ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना:** विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाए, साथ ही परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष

- नीति आयोग का विश्लेषण रेखांकित करता है कि भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसके लिए घरेलू स्तर पर साहसिक सुधार और विकसित देशों से पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक है।
- वित्त, ऊर्जा, उद्योग और वैश्विक सहयोग में समन्वित कार्रवाई ही यह तय करेगी कि भारत जलवायु नेतृत्व को आर्थिक विकास के साथ संरेखित कर पाएगा या नहीं।

स्रोत: DD News

संक्षिप्त समाचार

बस्तर पंडुम उत्सव

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बस्तर पंडुम' उत्सव के विशेष आयोजन पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी।

उत्सव के बारे में

- बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है, जो जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है।
- 7 से 9 फरवरी तक आयोजित यह उत्सव बस्तर की जनजातीय पहचान को कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन के माध्यम से उजागर करने वाला प्रमुख सांस्कृतिक मंच बन गया है।
- 84 टीमों के 700 से अधिक कलाकारों ने बारह सांस्कृतिक विधाओं में संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें पारंपरिक जनजातीय नृत्य, लोक संगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक वाद्ययंत्र और पारंपरिक भोजन शामिल थे।

स्रोत: DDNews

फॉर्म 7 विवाद

संदर्भ

- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गुमनाम या धोखाधड़ीपूर्ण व्यक्तियों द्वारा फॉर्म 7 के सामूहिक प्रस्तुतिकरण ने मतदाता विलोपन प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग पर विवाद उत्पन्न किया है।

फॉर्म 7 क्या है?

- फॉर्म 7 का उपयोग निर्वाचन सूची में नाम सम्मिलन पर आपत्ति दर्ज करने हेतु किया जाता है, जिसमें स्वयं का नाम भी शामिल हो सकता है।
- **आपत्ति के आधार:** मतदाता की मृत्यु, नाम का दोहराव, निवास परिवर्तन, आयु या नागरिकता के कारण अयोग्यता, या गलत प्रस्तुतीकरण।
- **कानूनी आधार:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत बनाए गए निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 की धारा 13(2) द्वारा शासित।

- आपत्ति केवल वही व्यक्ति दर्ज कर सकता है जिसका नाम पहले से निर्वाचन सूची में सम्मिलित हो।
- बूथ स्तर एजेंट (BLAs) भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

- **हालिया परिवर्तन (2022):** निर्वाचन आयोग ने नियमों में संशोधन कर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी, जबकि पहले यह केवल उसी मतदान केंद्र के मतदाताओं तक सीमित था।
- **सत्यापन प्रक्रिया:** प्रस्तुतिकरण के बाद बूथ स्तर अधिकारी (BLO) भौतिक सत्यापन करते हैं।
  - **मृत्यु के मामले में:** मृत्यु प्रमाणपत्र और तीन पड़ोसियों की पुष्टि आवश्यक।
  - **अनुपस्थिति के मामले में:** BLO को निवास परिवर्तन सत्यापित करने हेतु तीन बार दौरा करना होता है।
- संबंधित मतदाता को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाता है।
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय के विरुद्ध 15 दिनों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती है।

क्या आप जानते हैं?

- झूठा घोषणा-पत्र दाखिल करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

स्रोत: TH

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976: 50 वर्ष

संदर्भ

- 9 फरवरी 1976 भारतीय समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (BLSA) लागू किया गया।

परिचय

- बंधुआ मजदूरी (ऋण बंधन) उस स्थिति को परिभाषित करती है जिसमें धन इस प्रकार उधार दिया जाता है कि ऋणी को धन के स्थान पर श्रम द्वारा ऋण चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है।
- BLSA को संविधान के अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध) को प्रभावी बनाने हेतु अधिनियमित किया गया।
- गरीबी, जातिगत पदानुक्रम, भूमिहीनता और ऋणग्रस्तता के कारण बंधुआ मजदूरी गहराई से जड़ें जमा चुकी थी।
- भारत ने 1954 में ILO कन्वेंशन संख्या 29 (जबरन श्रम) का अनुमोदन किया, जिससे कानूनी दायित्व और मजबूत हुआ।

उद्देश्य:

- बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन।
- बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना और उनके ऋण समाप्त करना।
- आर्थिक और सामाजिक शोषण को रोकना।
- पुनर्वास हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करना।

स्रोत: IE

भारत द्वारा सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा के दौरान सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ भेंट में सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया।

विवरण

- भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
- इन समझौतों में भारत मौसम विज्ञान विभाग और सेशेल्स मौसम विज्ञान प्राधिकरण के बीच तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग भी शामिल है।

भारत के लिए सेशेल्स का सामरिक महत्व

- **हिंद महासागर में भू-सामरिक स्थिति:** सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के निकट स्थित है।

- यह समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **विजन महासागर (MAHASAGAR):**
  - समुद्री सुरक्षा, सतत विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित।
  - भारत के पूर्ववर्ती SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत का विस्तार।
  - हिंद महासागर में भारत की "नेट सुरक्षा प्रदाता" की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

सेशेल्स के बारे में

- सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का द्वीपसमूह राष्ट्र है, जो मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला देश है।
  - इसकी राजधानी महे द्वीप पर स्थित विक्टोरिया है।
- **जैव विविधता:** यहाँ कोको डे मेर, अल्दाबरा विशालकाय कछुआ और दुर्लभ काला तोता जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

स्रोत: AIR

'आगामी पीढ़ी की प्रणाली': सुनामी निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु

संदर्भ

- भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र (RSC) स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान सुनामी निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना है।

परिचय

- **वर्तमान प्रणाली:** यह मुख्यतः भूकंप से उत्पन्न सुनामी का पता लगाने हेतु डिज़ाइन की गई है।
  - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) हैदराबाद स्थित अपने केंद्र पर भूकंप संकेत प्राप्त कर सुनामी की संभावना का आकलन करता है।
  - सतही बॉय प्रायः चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे समुद्री डेटा संग्रहण में सीमाएँ उत्पन्न होती हैं।
  - कभी-कभी उपग्रहों से प्राप्त डेटा भी अपर्याप्त होता है।
- भारत अब ऐसी रणनीति विकसित कर रहा है जिससे गैर-भूकंपीय कारणों से उत्पन्न सुनामी का भी पता लगाया जा सके।
  - यह नया केंद्र श्रीलंका सहित हिंद महासागर तटवर्ती साझेदार देशों को भी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- INCOIS, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) का नोडल एजेंसी है।
- वैश्विक स्तर पर 80% सुनामी समुद्र-तल भूकंपों से उत्पन्न होती हैं, शेष भूस्खलन, समुद्री ज्वालामुखीय गतिविधि और पंक भूस्खलन जैसे गैर-भूकंपीय कारणों से।
- **महत्व:** नवीन अवसंरचना ध्वनिक संकेतों की निगरानी को सक्षम करेगी, जो वर्तमान नेटवर्क की तुलना में भूकंप संकेतों को अधिक शीघ्रता से पकड़ सकती है।

अंडमान और निकोबार का चयन करने के कारण

- भारत का एकमात्र ज्ञात ज्वालामुखी बैरेन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है, जो अधिकांशतः सुप्त है किंतु संभावित खतरा बना हुआ है।
  - यदि भूकंप या ज्वालामुखीय गतिविधि का केंद्र अंडमान और निकोबार द्वीपों के निकट हो, तो सबसे गंभीर प्रभाव द्वीपवासियों पर पड़ेगा।
- यही कारण है कि भारत अंडमान और निकोबार में भारी निवेश कर रहा है।

स्रोत: IE

राइट ऑफ वे (RoW) विलंब

संदर्भ

- राइट ऑफ वे (RoW) से उत्पन्न विलंब भारत की विद्युत प्रसारण विस्तार योजनाओं में प्रमुख बाधा बनकर उभरे हैं, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा निकासी परियोजनाओं को प्रभावित करते हुए।

राइट ऑफ वे (RoW) क्या है?

- RoW उस भूमि पट्टी को संदर्भित करता है जो प्रसारण लाइन के नीचे और आसपास निर्माण, संचालन एवं रखरखाव हेतु आवश्यक होती है।
- इसे प्रसारण गलियारा भी कहा जाता है, जो न्यूनतम सुरक्षा दूरी सुनिश्चित करता है।
- RoW विद्युतचुंबकीय क्षेत्र के संपर्क मानकों और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
- यह उपयोगिताओं को ऊँचे पेड़ों, भवनों या अन्य संरचनाओं से उत्पन्न अवरोधों को रोकने की अनुमति देता है।

RoW विलंब के कारण

- **भूमि अधिग्रहण समस्याएँ:**
  - भूमि मालिकों द्वारा अधिक मुआवजे की माँग।
  - प्रसारण गलियारे के अंतर्गत भूमि मूल्यांकन पर विवाद।
- **वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ:**
  - संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली लाइनों हेतु वन स्वीकृतियों में विलंब।
  - पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) आवासों में प्रतिबंध।

स्रोत: IE

मैंग्रोव क्लैम (गेलोइना एरोसा)

समाचार में

- ICAR-केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने गेलोइना एरोसा (मैंग्रोव/पंक क्लैम) की कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रेरित कर वैश्विक स्तर पर प्रथम सफलता प्राप्त की है, जिससे भारतीय मैंग्रोव में अति-शोषित जनसंख्या को पुनर्स्थापित करने की आशा जगी है।

परिचय

- गेलोइना एरोसा (जिसे पॉलीमेसोडा एरोसा भी कहा जाता है) एक बड़ा द्विपटली जीव है (खोल की चौड़ाई 10 सेमी तक) जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के मैंग्रोव एवं मुहानों के कार्बनिक-समृद्ध, कीचड़युक्त ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- उत्तरी केरल में इसे स्थानीय रूप से "कंडल कक्का" कहा जाता है।
- यह एक कुशल फिल्टर फीडर है, जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है, बिल बनाकर अवसाद को स्थिर करता है और पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन को सुदृढ़ करता है।
- पारिस्थितिक दृष्टि से यह मुहाना जल की गुणवत्ता सुधारने, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत: TH

■■■■